संख्या : 15/2022/बी-1-516/दस-2022

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, उत्तर प्रदेश,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 28 जून, 2022

विषय : केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कार्मिकों के वेतन भुगतान की प्रतिपूर्ति का कोषागारों में लेखांकन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-12/2022/बी-1-357/दस-2022, दिनाँक 10 मई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय योजनाओं की एकमुश्त (केन्द्रांश एवं राज्यांश) धनराशि सिंगल नोडल एकाउण्ट को स्थानान्तरित करने तथा योजना के अन्तर्गत एक नया विस्तृत शीर्ष खोलकर वेतन भुगतान के लिये मानक मद 01-वेतन, 03-मंहगाई भत्ता आदि में व्यवस्था की गयी है । योजनान्तर्गत एकमुश्त धनराशि सिंगल नोडल एकाउण्ट में स्थानान्तरित करने के परिणामस्वरूप, कोषागारों से योजनान्तर्गत वेतन भुगतान की सकल धनराशि की प्रतिपूर्ति सिंगल नोडल एजेन्सी द्वारा राज्य सरकार को (कोषागार में जमा कर) की जानी है, जिसका लेखांकन कोषागारों में सम्बन्धित अनुदान के सुसंगत लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड) में भुगतान पक्ष में (-) डेविट के रूप में पुस्तांकित किया जायेगा । इस हेतु सम्बन्धित अनुदान में वेतन भुगतान एवं सिंगल नोडल एजेन्सी द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अलग-अलग बजट प्रावधान वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया गया है ।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कार्मिकों के वेतन भुगतान की प्रतिपूर्ति का कोषागारों में लेखांकन के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रक्रिया का अनुपालन किया जाय -

(1) सिंगल नोडल एकाउण्ट से वेतन की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि, जमा किये जाने जाने वाले चालान पर आवश्यक रूप से अनुदान संख्या एवं वेतन की प्रतिपूर्ति के लेखाशीर्ष का 15 डिजिट कोड अंकित किया जायेगा । चूँकि चालान पर लेखाशीर्ष के 13 डिजिट अंकित किये जाने की ही व्यवस्था है अतः इस हेतु सिंगल नोडल एजेन्सी द्वारा चालान में 02 अतिरिक्त डिजिट बढ़ा लिया जायेगा तथा 15 डिजिट कोड के ठीक ऊपर अनुदान संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा । सिंगल नोडल एजेन्सी द्वारा वेतन प्रतिपूर्ति की धनराशि जमा किये जाने पर बैंक से चालान प्राप्त होने पर कोषागार में चालान को भुगतान पक्ष में, चालान पर अंकित अनुदान संख्या के अन्तर्गत लेखाशीर्ष के 15 डिजिट कोड में (-) डेविट के रूप में पुस्तांकित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्तानुसार चालान को भुगतान पक्ष में (-) डेविट के रूप में पुस्तांकित करने के फलस्वरूप प्राप्ति एवं भुगतान कैशबुक दोनों में सी.टी.-1 तथा सी.टी.-2 के बीच में वेतन प्रतिपूर्ति का समायोजन (Recoupment of pay in CSS) के लिये एक प्रविष्टि की जायेगी, जिसमें वेतन की प्रतिपूर्ति हेतु जमा की गयी धनराशि का अंकन (+) किया जायेगा ।

3- उक्त व्यवस्थानुसार सिंगल नोडल एजेन्सी द्वारा वेतन की प्रतिपूर्ति के उपरोक्तानुसार लेखांकन हेतु कोषागारों को निर्देशित करने तथा कैशबुक (प्राप्ति एवं भुगतान दोनों) में उक्तानुसार व्यवस्था किये जाने हेतु ट्रेजरी सॉफ्टवेयर में संशोधन कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

संख्या : 15/2022/बी-1-516(1)/दस-2022, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज ।
3 समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश ।
4 सम्बन्धित वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश ।
5 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
6 निदेशक, वितीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य एकक इकाई, योजना भवन, लखनऊ ।
8 विभागीय आदेश पत्रावली ।

आज्ञा से,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।